

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

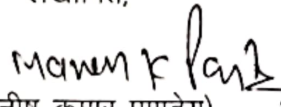
जी० आर० नं०-561 /2024

महेंदिया थाना काण्ड संख्या 171/2023

26.07.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक-04.07.24 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. गीता देवी, 3. अंजली कुमारी, 4. रवि कुमार, 5. सत्यानन्द सिंह के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 323, 341, 498ए, 504, 506/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 93/2024 दिनांक 04.07.2024 समर्पित किया गया है। मामले में अनुसंधान पूर्ण है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के पैरा-2, 3, 4, 5, 8, 14, 21, 26, 27 का अवलोकन किया। मामले में अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। चूंकि मामले के अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. गीता देवी, 3. अंजली कुमारी, 4. रवि कुमार, 5. सत्यानन्द सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित हो चुका है। तत्पश्चात समस्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. गीता देवी, 3. अंजली कुमारी, 4. रवि कुमार, 5. सत्यानन्द सिंह के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-323, 341, 498ए, 504, 506/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 में प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार पाती है। अतः भा०द०वि० की धारा- 323, 341, 498ए, 504, 506/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 में अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. गीता देवी, 3. अंजली कुमारी, 4. रवि कुमार, 5. सत्यानन्द सिंह के विरुद्ध संज्ञान लिया जाता है। अभिलेख को अग्रिम विचारण हेतु विशेष न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक-08/07/24 वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित,


(मनीष कुमार पाण्डेय) 26-07-24

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।